न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024/202**
दायरा तिथि : 14.06.2024
आदेश तिथि : 18-03-2026
प्रार्थी :–

शिवनाथसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी राणा. तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 18-03-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1094 रकबा 0.9300 हैक्टर व खसरा नंबर 1095 रकबा 0.6600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1093 रकबा 0.0800 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1325 दिनांक 13.08.2024 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र स्त्रोत है।
2. यह है कि आवेदक द्वारा चाहा गया नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित रास्तो के विकल्पों में से निकटतम है।
3. यह है आवेदक द्वारा चाहा गया नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि आवेदक द्वारा चाहा गया ग्राम चामुण्डेरी में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1093	0.0800	बारानी अव्वल	17X06=102 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह है कि मौके पर प्रचलित रास्ता जिसका उपयोग प्रार्थी कर रहा है का ग्राम चामुण्डेरी में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1093	0.0800	बारानी अव्वल	18.5X06=111 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

6. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,51,061/– रूपये प्रति हैक्टर है।

यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/202
अनवान शिवनाथसिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1094 रकबा 0.9300 हैक्टर व खसरा नंबर 1095 रकबा 0.6600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। चूंकि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता दिया जाना ही न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1094 रकबा 0.9300 हैक्टर व खसरा नंबर 1095 रकबा 0.6600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1093 रकबा 0.0800 हैक्टर में से **102 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,51,061/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1093	0.0800	17X06=102 वर्गमीटर	16	1632X2=3264	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 3264/- (अक्षरे तीन हजार दो सौ चौसठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली
दिनांक : 30-3-2026

क्रमॉक/कोर्ट/2026/ 520-524

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी
3. पटवारी हल्का, चामुण्डेरी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक शिवनाथसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी राणा. तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 27/07/2024 03:56:34 PM

...ला : पाली

...का : चामुन्डेरी

तहसील : बाली

ग्राम : चामुन्डेरी

भू. अ. नि. क्षेत्र : चामुण्डेरी

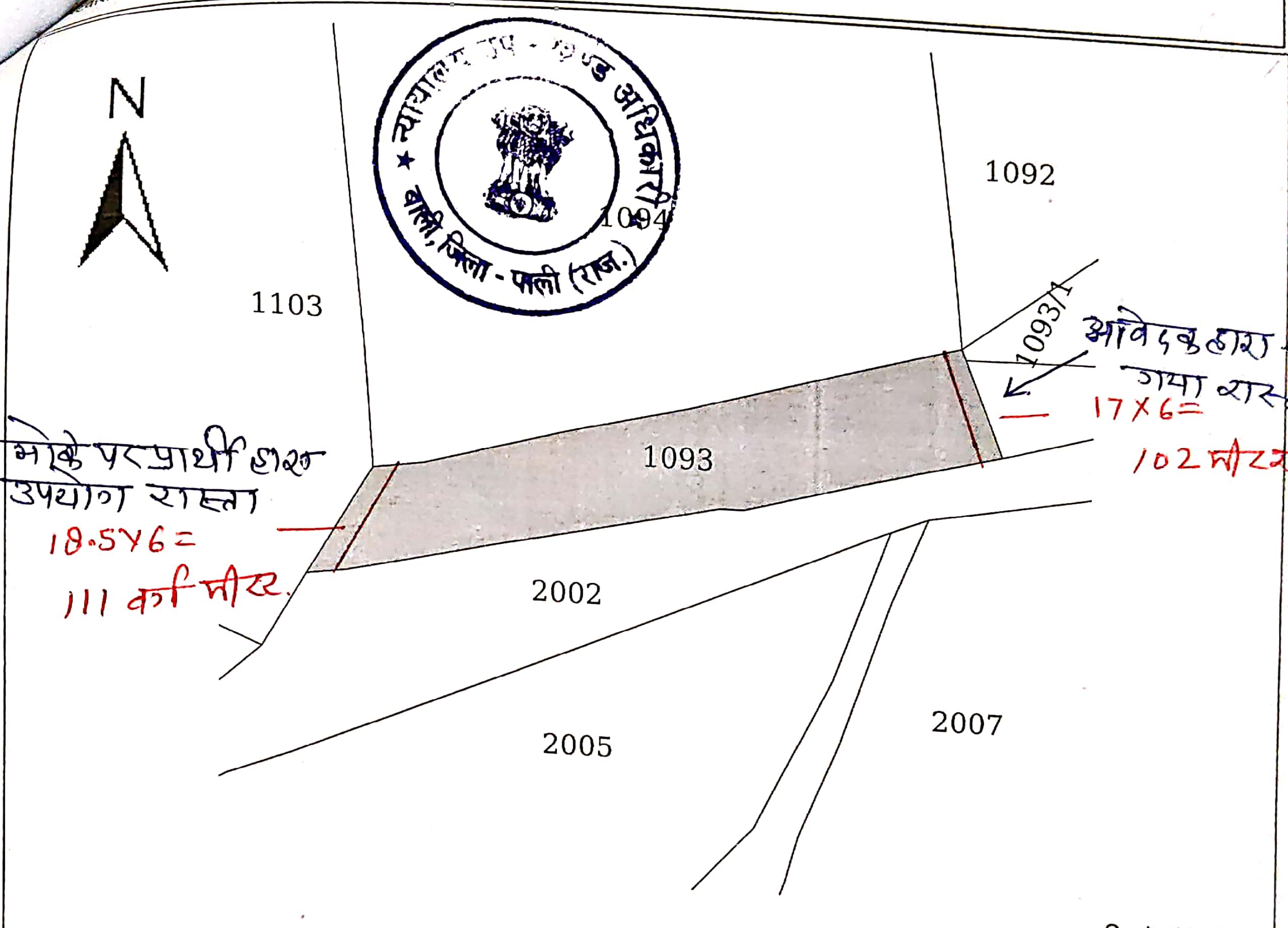

खसरा संख्या :1093 क्षेत्रफल : 0.0800 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी अव्वल [0.0800, 0.48]

राज. सरकार

श्रवण कुमार
भू. अ. निरीक्षक चामुण्डेरी
तह. बाली (पाली)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्ठियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

तहसीलदार,बाली

Scanned with OKEN Scanner